



2026: AHC: 2392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 40737 सन् 2025

आलम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- अजीत श्रीवास्तव, कुमार विक्रान्त

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत श्रीवास्तव के प्राधिकार के अधीन अधिवक्ता श्री सौरभ साहू, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए० जी० ए० श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक, आलम, की ओर से पुलिस थाना-सिकंदरा, जनपद-कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 17 सन् 2007 में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ योजित किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के तीन प्रकरण पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य , नेता या संगठक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी भी गिरोह की गतिविधियों को न तो उकसाया है और न ही उनमें सहायता की है। उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक , जो दिनांक 04.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है , यह प्रतिज्ञा देता है कि जमानत दिए जाने की स्थिति में वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मुकदमों के अत्यधिक लंबित होने के कारण, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है , किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत तथा उक्त अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए , और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना , मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः , वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक, **आलम**, को उपरोक्त वाद-अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर उन्मोचित कर दिया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, न ही उसे डराएगा-धमकाएगा या कोई वचन देगा, जिससे कि उस व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के प्रारंभ होने , (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक, विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर , व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में , यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के प्रयोजन तक ही सीमित है और किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना विचारण न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

दीपक